

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- 202205

प्रकरण संख्या:- 298/25

दिनांक:- 7-10-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उनवान

श्री अखपत पुत्र
भजनलाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का ऐन्देर भू. अ. नि. सारलोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ऐन्देर प. 0 ह. 0 ऐन्देर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 218, 544 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम व पिता का नाम	अखपति पुत्र भजन	अखपत पुत्र भजनलाल शेष अरुन बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री अखपत पुत्र भजनलाल जाति मीना जिला ऐन्देर

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)